P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण

सारांश

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूँजी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कारक है जिसे भौतिक पूँजी तथा मानवीय पूँजी में विभाजित किया जा सकता है। मानवीय पूँजी के उन्नयन के लिए खाद्यान्न सुरक्षा एक आवश्यक शर्त है। इसका सम्बन्ध लोगो के क्रय शक्ति क्षमता तथा गरीबी से होता है। सरकार वस्तु के रूप में आय का हस्तान्तरण समाज के गरीब वर्ग को करती है। इस निमित्त भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण–प्रस्तावना, खाद्यान्न आपूर्ति एवं मांग पक्ष, खाद्यान्न वितरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 सहित शोध पत्र का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द : क्रय शक्ति क्षमता, सामाजिक सूचकांक, प्रति व्यक्ति उपलब्धतता, प्रतिरोधक भण्डार, समयपश्चता, न्युनतम मानदण्ड, यू0आई0डी0, इत्यादि।

विनयानन्द यादव
शोधछात्र,
अर्थशास्त्र विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

आलोक कुमार गोयल
प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

प्रस्तावना

खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों को सदैव भोजन की उपलब्धता और उसे प्राप्त करने की पर्याप्त क्रय शक्ति क्षमता से है। इसका मतलब सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सभी लोग खाद्य पदार्थ खरीद पाने की क्षमता रखते हो तथा खाद्य की उपलब्धता दीर्घ काल तक सुनिश्चित हो।किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के मापदण्ड का सामाजिक सूचकांक का केन्द्र उस देश की जनसंख्या होती है। भारत में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति भयावह है। आजादी के 7 दशक बाद बीत जाने के बाद हम आज भी लोगों की भूख नहीं मिटा पाये। वर्ष 2004 के बाद तेज आर्थिक तरक्की के बावजूद कुपोषण एवं भुखमरी की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। विश्व विकास रिर्पोट 2010 के अनुसार भारत की 21 प्रतिशत आबादी कुपोषण ग्रस्त है और इसके 5 वर्ष के कम आयु वाले 44 प्रतिशत बच्चे कमजोर है तथा 7 प्रतिशत बच्चे 5 वर्ष की आयु के होते मर जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2005–2010 में कम वजन के सूचकांक की 129 देशों की सूची में भारत 128वें स्थान पर है यानी नीचे से दूसरा। वैश्विक भूख सूचकांक 2013 के अनुसार वर्ष 2011–13 में विश्व में भूखे लोगों की संख्या 84.2 करोड़ है, जिसमें से 21 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। भुखमरी मापने वाले इस सूचकांक के वर्ष 2017 में भारत को 117 देशों की सूची में 100वाँ स्थान दिया गया है। वर्ष 2012 के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 5 साल के उम्र के आधे से ज्यादा बच्चे भारी कुपोषण का शिकार है। देश की किशोर उम्र की 36 फीसदी महिलायें कम वजन की हैं। जाहिर है कि देश की तेज आर्थिक तरक्की का एवं खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का कोई लाभ कमजोर, निर्धन और निःशक्त तबके को नहीं हुआ है। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या लगभग जस की तस बनी हुई है। खाद्य एवं कृषि संगठन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2017 तक 39 लाख लोगों को भूख के दायरे से बाहर निकाला गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया में भूखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में कुपोषण और भूखे लोगों की स्थिति को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अत्यन्त प्रासंगिक है। खाद्य सुरक्षा की स्थिति खाद्यान्नों की आपूर्ति एवं वितरण पक्ष (माँग) से सम्बन्धित होता है। इनमें से किसी एक पक्ष की कमजोर स्थिति खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न करती है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिये खाद्यान्नो की आपूर्ति एवं मांग पक्ष का अध्ययन करना तथा खाद्य सुरक्षा की स्थिति न होने की दशा में जिम्मेदार पक्ष को जानना।

साहित्यावलोकन

डॉ0 जगदीप सक्सेना (2018) : जगदीप सक्सेना ने विज्ञान प्रगति में प्रकाशित अपने लेख ''भूख पर विजय का संघर्ष'' में वैश्विक स्तर पर भूख और कुपोषण की विकट समस्या पर विस्तार से लिखा है। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि लगभग 795 मिलियन लोगों को सक्रिय व स्वस्थ जीवन विताने के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध नहीं है। विकासशील देश आज भी कृषि उत्पादन में सार्थक रूप से पिछड़े हुए हैं, हलांकि यहाँ बेहतर सम्भावनाएं मौजूद हैं। एक तो कृषि के सकल क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए और दूसरे भूमि की प्रतिहेक्टेयर उत्पादकता भी बढ़नी चाहिए। भूख के विरुद्ध संघर्ष में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटनें की कारगर रणनीति को भी शामिल करना होगा। इसीलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के साथ गरीबी पर प्रहार करना भी आवश्यक होगा।

पंकज चतुर्वेदी (2019) : पंकज चतुर्वेदी ने हिन्दुस्तान समाचर पत्र के सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित अपने लेख ''वह अन्न जिससे भरा जा सकता है करोड़ों का पेट'' में बताया कि खाद्य सुरक्षा की पूरी बहस अक्सर उत्पादन के तौर तरीकों पर केन्द्रित रह जाती है जबकि हम जितना खेतों में उगाते हैं उसका 40 प्रतिशत उचित रखरखाव के अभाव में नष्ट हो जाता है। हर साल 92600 करोड़ रूपये कीमत का 6.7 करोड़ का खद्य पदार्थ बर्बाद होता है वह भी उस देश में जहाँ बड़ी आबादी भूखे पेट सोती है। जितना अन्न हम एक साल में बर्बाद करते हैं उसकी कीमत से ही कई कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकते हैं। यदि पंचायत स्तर पर ही एक कुन्तल अनाज के आकस्मिक भण्डारण और उसे जरूरतमंदो को देने की नीति का पालन हो तो कम से कम कोई भूख से नहीं मरेगा। देश में यदि कहीं एक भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो और अन्न का एक भी दाना बर्बाद न हो इन दोनों को दो अलग–अलग प्रयास बनाए रखने की बजाए अगर हम एक ही प्रयास बना लें तो इस समस्या को ज्यादा अच्छी तरह खत्म करने की ओर बढ़ सकते हैं।

उपरोक्त संबंधित साहित्यिक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा गरीबी को कम करने के उद्देश्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा खद्यान्नों की आपूर्ति बेहतर प्रबन्धन न होने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। यह जानना आवश्यक है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए खाद्य सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण किया जाए।

खाद्यान्न आपूर्ति

किसी देश के आर्थिक एवं राजनीतिक सम्प्रभुता के लिए खाद्य सुरक्षा एक अनिवार्यता होती है। खाद्य सुरक्षा का एक आवश्यक पहलू खाद्यान्न आपूर्ति है जो कि आयात एवं घरेलू उत्पादन पर निर्भर होती है। भारत की आजादी बंगाल के भीषण अकाल की पृष्ठभूमि में मिली थी। खाद्यान्नों की मात्रात्मक कमी का प्रभाव स्वतंत्रता के बाद दो दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर बना रहा। देश में कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता एवं अकाल के कारण खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी समस्या बढ़ती गयी जिससे निजात पाने के लिए शुरूआती दो दशकों में अनाज के आयात का सहारा लिया गया, परन्तु आयात से आपूर्ति न तो एक बेहतर विकल्प है न ही स्थायी समाधान। आयात के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाले देश की आर्थिक सम्प्रभुता खतरे में रहती है। ये देश विश्व मंच पर अपने स्वतंत्र विचार नहीं रख सकते। जिसका एक कटु अनुभव गेहूँ आयात के लिए भारत का अमेरिका से पी0एल0 480 समझौता रहा है।

खाद्य आपूर्ति का सबसे बेहतर विकल्प घरेलू उत्पादन में वृद्धि है जिसके निमित्त भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। सन् 1951 में अनाज का शुद्ध उत्पादन 48.1 मि0 टन था। जो सन् 1961 में 72 मि0 टन हो गया। विश्व के देशों में पैकेज प्रोग्राम की सफलता से प्रेरित होकर भारत में सन् 1960–61 में आई0ए0डी0पी0 को सात जिलों में लागू किया गया। पुनः सन् 1965–66 में आई0ए0ए0पी0 को 114 जिलों में लागू किया गया जिसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त हुई। यह दोनों कार्यक्रम कृषि उत्पादकता बढ़ाने के पैकेज प्रोग्राम ही थे जिसमें मुख्य रूप से चार कृषि आगतो–सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, उन्नतशील किस्म के बीज एवं कीटनाशक दवाओं के आवश्यकतानुसार प्रयोग पर बल दिया गया। इन कार्यक्रमों की सफलता से उत्साहित होकर 1965–66 से भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसके परिणामस्वरूप देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई तथा भारत ने सन् 1976–77 में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली और इसके पश्चात् भारत द्वारा अनाज का आयात नाम मात्र का रहा। सन् 1951 और सन् 2001 के बीच खाद्यान्न उत्पादन 51.6 मि0टन से बढ़कर 156.9 मि0टन रहा, सन् 2016 में खाद्यान्नों का उत्पादन 226.6 मि0 टन हो गया।

तालिका : 01

भारत में खाद्यान्न उत्पादन एवं उपलब्धता

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन में)	खाद्यान्न उत्पादन (अनाज+दाल) (मि0टन)	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता (ग्राम में)
1951	363.2	51.6	394.9
1961	442.4	75.7	468.7
1971	551.3	94.3	468.8
1981	688.5	113.4	454.8
1991	851.7	158.6	510.1
2001	1033.2	156.9	416.2
2011	1201.9	199.0	453.6
2012	1213.4	199.4	463.8
2013	1228.8	213.7	491.9
2014	1244.0	222.2	489.3
2015	1259.1	213.7	465.1
2016	1273.9	226.6	487.3
2017 (P)	1288.5	238.0	506.1

स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकी निदेषालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग (आर्थिक समीक्षा, 2017–18)

चित्र : 01

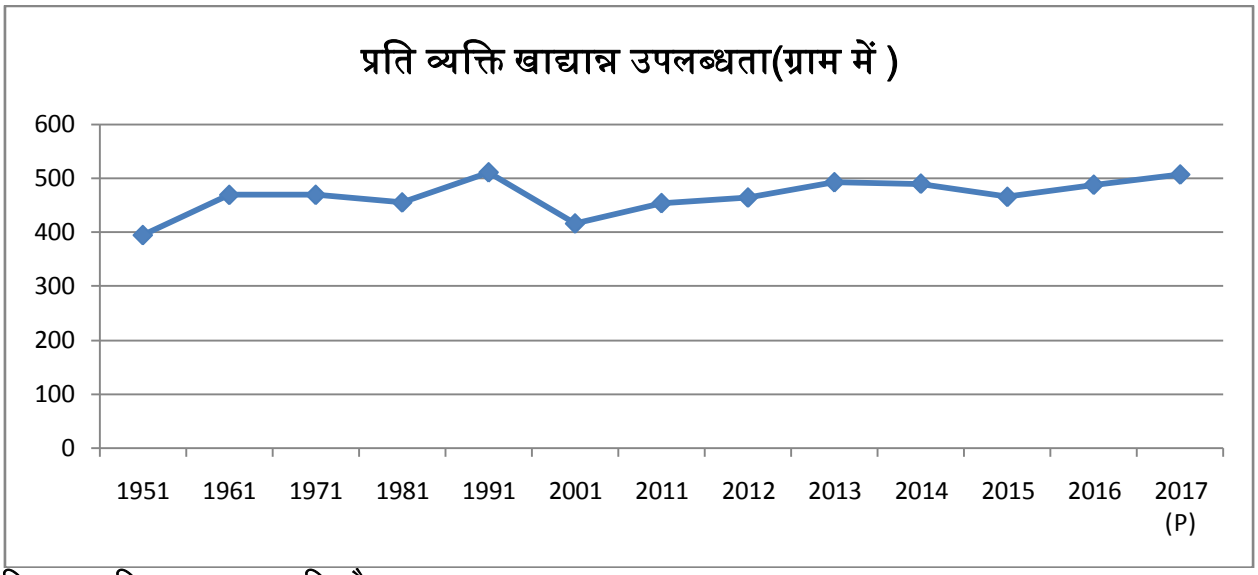

चित्र 01 तालिका 01 पर आधारित है।

भारत में अधिकांश पोषक तत्व खाद्यान्नों से प्राप्त किये जाते हैं। सन् 1951 के दौरान खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394.9 ग्राम प्रतिदिन थी जो बढ़कर सन् 2001 के दौरान 416.2 ग्राम हो गयी, किन्तु प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दालों के संदर्भ में प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो सन् 1951 के दौरान 60.7 ग्राम प्रतिदिन थी गिरकर सन् 2001 में 30 ग्राम हो गयी। सन् 1991 से 2016 के दौरान प्रति व्यक्ति में शुद्ध उपलब्धता में गिरावट आयी और खाद्यान्नों की उपलब्धता 510.1 ग्राम से कम होकर 487.3 ग्राम प्रतिदिन हो गयी। इसी दौरान दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता गिरकर 43.6 ग्राम पहुँच गयी। परन्तु खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेने मात्र से ही खाद्य सुरक्षा की स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है।

सार्वजनिक भण्डार

देश की समस्त जनता को पर्याप्त मात्रा में हर समय एवं दीर्घकालीन खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, इसके लिए भारत सरकार ने 01 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की जिससे सरकार खाद्यान्नों का आंशिक व्यापार अपने हाथ में ले सके। कुछ आकस्मिक परिस्थितियों, मूल्य वृद्धि से सामान्य लोगों को संरक्षित करने तथा पी0डी0एस0 के स्टॉक के अतिरिक्त सरकार एक स्टॉक रखती है, जिसे प्रतिरोधक भण्डार (बफर स्टॉक) कहते हैं। खाद्यान्नों की आपूर्ति को बढ़ाने एवं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया जिसका नाम् सन् 1985 में परिवर्तित कर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कर दिया गया जो प्राइस इन्सेन्टिव मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। किसानों को खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वसूली कीमत एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य जबकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न वस्तुओं की उपलब्धता हेतु जारी कीमत की सिफारिश सरकार को भेजती है। जिसे सरकार साल में दो बार घोषित करती है। मूल्यों की घोषणा फसल लगाने के छः माह पूर्व की जाती है। क्योंकि कृषि क्षेत्र का उत्पादन फलन समय पश्चात् वाला होता है।

सामान्यता किसी देश की खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के दृष्टि से चावल व गेहूँ जैसे अनाजों का बफर स्टॉक रखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनाज उत्पादन में अधिक उतार–चढ़ाव विभिन्न वर्षों में मौसम की स्थिति व मानव निर्मित कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। इसलिए किसी राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने वृहद जन समूह की खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता हेतु अच्छे उत्पादन वर्ष में अतिरेक अनाजों का उचित बफर स्टॉक किया जाय। विभिन्न समितियों द्वारा बफर स्टॉक हेतु 15 से 25 मि0टन के अनुकूलतम आकार का सुझाव दिया गया है। जबकि देश में बफर स्टॉक के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति इसके भिन्न है। यदि विगत वर्षों के आंकड़ों पर ध्यान आकृष्टि करे तो भारत में अनाजों का बफर स्टॉक विभिन्न समितियों के न्यूनतम अनुमानित मात्रा से अधिक रहा है। इसके बावजूद भी हम इसे जरूरत मंदो तक पहुँचाने में असफल रहे है।

तालिका : 02

अनाज भण्डारण : गेहूँ और चावल (मि0 टन)

वर्ष	वास्तविक बफर स्टॉक (1 जनवरी)	न्यूनतम मापदण्ड (बफर नार्म) 1 जनवरी
2002	580.32	168.00
2003	482.02	168.00
2004	244.14	168.00
2005	216.94	168.00
2006	188.29	200.00
2007	174.05	200.00
2008	191.87	200.00
2009	357.88	250.00
2010	474.45	250.00
2011	471.20	250.00

2012	553.94	250.00
2013	666.04	250.00
2014	427.45	250.00
2015	368.56	214.10
2016	364.77	214.10
2017	272.22	214.10

स्रोतः डिपार्टमेंट ऑफ फूड एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीव्यूषन सिस्टम, 2017

चित्र : 02

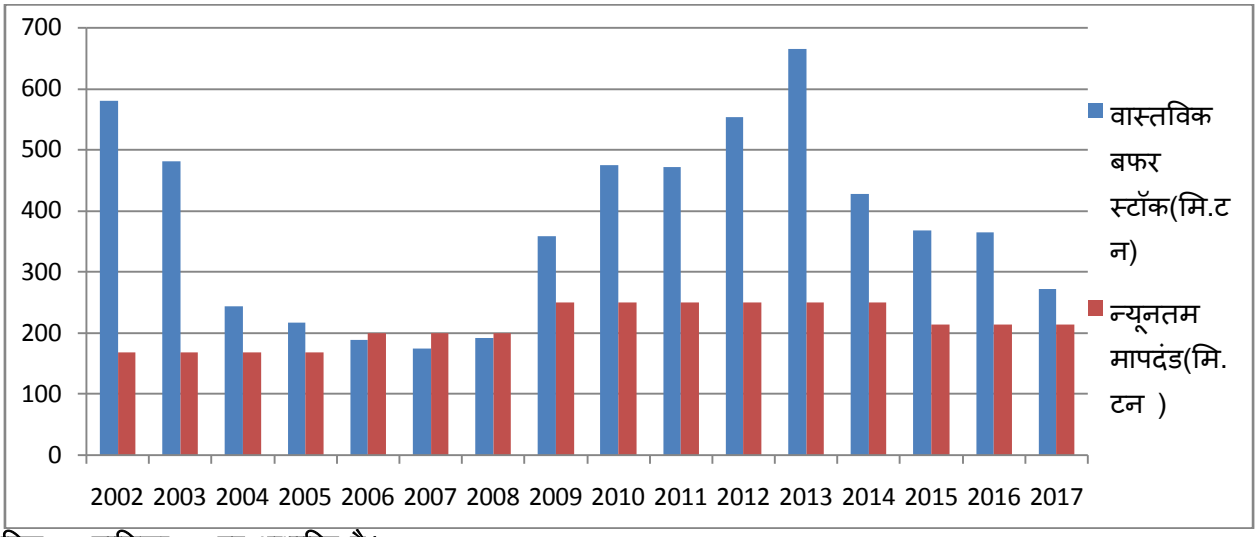

चित्र 02 तालिका 02 पर आधारित है।

भारत में खाद्यान्नों का घरेलू उत्पादन तेजी के साथ बढ़ा है तथा दीर्घ कालीन सुनिश्चितता के लिए सार्वजनिक भण्डार की आवश्यकता से अधिक मात्रा है। अर्थात् खाद्य सुरक्षा के लिए आपूर्ति पक्ष देश में काफी मजबूत हो चुका है। फिर भी हम खाद्य सुरक्षा की वास्तविक स्थिति से काफी दूर है क्योंकि– खाद्य सुरक्षा के लिए न केवल खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है बल्कि खाद्यान्नों का वितरण भी आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने एवं कुपोषण से बचाने के लिए बहुत से कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई गई हैं। ये योजनाएं एक बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य के दुकानों का एक विस्तृत जाल फैला हुआ है। जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर अनाज वितरित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वांछनीय है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए जून 1997 में सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की; जिसके तहत उपभोक्ताओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया ए0पी0एल0 समूह एवं बी0पी0एल0 समूह। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए जारी कीमत को आर्थिक लागत का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया जबकि गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक लागत 70 प्रतिशत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। पीडीएस की सफलता राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। पी0डी0एस0 के अन्तर्गत 1991–92 में चावल और गेहूँ का कुल आबंटन 219 लाख टन था। 2001–02 में चावल और गेहूँ का कुल आबंटन 303.70 लाख टन था, जबकि वितरित मात्रा केवल 138.40 लाख टन थी। वितरित मात्रा आबंटित मात्रा का मात्र 45.6 प्रतिशत था। 2014–15 में अनाज का आबंटन ए0पी0एल0 के लिए 104.93 लाख टन तथा बी0पी0एल0 के लिए 137. 66 लाख टन था जबकि इसी समय में अनाज का उठाव ए0पी0एल0 के अन्तर्गत 96.12 लाख टन तथा बी0पी0एल0 का 100.91 लाख टन था अर्थात् वितरित मात्रा आबंटित मात्रा से कम थी।

खाद्यान्न की आपूर्ति एवं मांग पक्ष

भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन तथा अतिरेक स्टॉक होने के बावजूद भी हम अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे है। इसका सबसे प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त कमियाँ एवं भ्रष्टाचार है। पीडीएस के अंतर्गत कम गुणवत्ता वाले अनाज प्रदान किए जाते हैं। ए0पी0एल0 परिवारों के लिए जो कीमत रखी गई है वह बाजार कीमत से थोड़ी ही कम है। अतः यह परिवार पीडीएस की अपेक्षा बाजार से क्रय करना बेहतर समझते हैं जहाँ उन्हें कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। 2010 में गठित वाधवा कमेटी ने पी0डी0एस0 को सबसे अधिक भ्रष्ट प्रणाली या संस्था के रूप में पाया है जिसमें खाद्यान्नों की बड़े पैमाने पर काला बाजारी हो रही है। अधिकतर राज्यों में आधे से अधिक निर्धन पी0डी0एस0 से अनाज प्राप्त नहीं करते हैं। पी0डी0एस0 से अनाज प्राप्त करने वालों में औसत निर्धन ऐसे हैं जो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 3 किग्रा से कम अनाज प्राप्त करते हैं। जो निर्धन परिवारों की अनाज की खपत का केवल आंशिक हिस्सा ही पूरा कर पाती है। सरकार के कुल सब्सिडी का मात्र 10 प्रतिशत से कुछ अधिक हिस्सा ही गरीबों तक पहुँच पाता है। चूँकि गरीबों का एक बड़ा हिस्सा खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर है। इस तरह से भारत में खाद्यान्नों का वितरण पक्ष बहुत ही कमजोर है। क्योंकि वितरण व्यवस्था दूषित हो गयी है। जैसा कि

कई सारे अध्ययन इस तरह का संकेत देते हैं। इस व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने एक क्रान्तिकारी कदम 2013 में खाद्य सुरक्षा विधेयक लाकर किया है। जिसमें दिये गये प्रावधान खाद्यान्नों की वितरण व्यवस्था सुधार के लिए सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

खाद्याान्न वितरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में वितरण व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार तत्र को दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। जिससे यह आशा की जाती है कि कानून का भय भविष्य में वितरण व्यवस्था में सुधार करेगा। परिणामतः खाद्य सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 3 रु0 प्रति किग्रा0 चावल, 2 रु0 प्रति किग्रा गेहूँ और 1 रु0 प्रति किग्रा0 मोटा अनाज की दर से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 7 किग्रा खाद्यान्न एवं सामान्य परिवारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधे दामों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किग्रा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत व्यक्ति लाभान्वित होंगे। गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाएं भी 6 माह के लिए 1000 रु0 प्रतिमाह मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होगी। खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा मध्यान्ह भोजन सरीखी योजनाओं का इस्तेमाल किया जायेगा। इस कानून में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शी ढांचा होगा। इसमें खाद्यान्न परिवहन की समूची प्रक्रिया, उचित मूल्य दुकान तक राहत पहुँचाने से कार्डधारकों तक पहुँचाने तक की प्रक्रिया पर सामुदायिक संस्थाओं के जरिए निगरानी रखी जा सकेगी। ये संस्थायें अपने उपभोक्ताओं के लिए जवाबदेह होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत होगी। दुकानों, कार्डधारकों को दिए जाने वाले खाद्यान्न, दुकानों में भण्डारित खाद्यान्न की मात्रा की तारीख, वित्तीय लेन–देन, जारी किए गए लाइसेंस तथा अन्य जरूरी सूचनाओं को इंटरनेट पर स्वतः सार्वजनिक किया जाना जरूरी होगा। हेल्पलाइन सेवा, एस0एम0एस0 अलर्ट सामाजिक संकेक्षण तथा सतर्कता समिति की मदद से सामुदायिक निगरानी की जाएगी। पांच सदस्यीय निगरानी समिति में तीन महिलाएं होगी और कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा, जो दुकान के प्रबंध कार्य में शामिल हो।

निष्कर्ष

अंततः सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार तथा पारदर्शिता से लोगों तक भोजन की पहुँच तथा उपलब्धता और आसान होगी। खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्यान्न गरीब की पहुँच से बाहर होता जा रहा था, परन्तु भारत सरकार द्वारा इस कानून के लागू होने के बाद स्थिति बेहतर हुयी है। खाद्य सुरक्षा विधेयक से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण तथा भूखजनित बीमारियों से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। जनसाधारण के गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम सशक्त, स्वस्थ और सम्पन्न भारत के निर्माण में सहायक हुआ है। इसी के साथ यह आवश्यक लगता है कि वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए यू0आई0डी0 पद्धति का प्रयोग उचित है। इस तरह से खाद्य सुरक्षा की स्थिति न प्राप्त कर पाने के लिए वितरण पक्ष ही जिम्मेदार कारक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

आर0 राधाकृष्णन, ''फूड एण्ड सिक्योरिटी न्यूट्रियन्स ऑफ द पुअर'' इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली (अप्रैल 2005)।

भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2012–13) एवं (2017–18)

देव महेन्द्र एवं अलख एन0 शर्मा (2010), ''फूड सिक्योरिटी इन इण्डिया : परफॉरमेंस, चैलेन्ज एण्ड पॉलिसी'' इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑक्सफोर्ड वर्किंग पेपर, नई दिल्ली।

कोतवाल अशोक, मिलिद मुरूगकर और भारत रामास्वामी (2011) ''पी0डी0एस0 फॉर एवर?'', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली।

कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2013

योजना दिसम्बर 2013.

देव एस0एम0, ''राइट टू फूड इन इण्डिया'' वर्किंग पेपर नं0–50 हैदराबाद, सेन्टर फॉर इकोनॉमिक एण्ड सोशल स्टडीज।

ड्रेज, जे (2004), ''डेमोक्रेशी एण्ड राइट टु फूड'', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिक वीकली अप्रैल 24।

सेन, अमर्त्य (2001), ''मेनी फेसेज ऑफ जेंडर इक्वालिटी'' फ्रंट लाइन, 27 अक्टूबर , 9 नवम्बर।

स्वामिनाथन, एम0 (2000), विकिंग वेल फेयर द पब्लिक डिस्ट्रीव्यूशन ऑफ फूड इन इण्डिया।

तारा गोपाल दास, ''हिडेन हंगर : द प्रॉब्लम एण्ड पॉसिबल इंटरवेन्सन'' इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली अगस्त 2006।

एस0एस0 आचार्य (2006), ''खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय खाद्य नीति का प्रभाव'' वर्ल्ड इन्स्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च पेपर नं0 – 2006/70।

मधु पावस्कर, ''पब्लिक इंटरवेन्सन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग'' इन एम0एल0 दन्तवाला, इण्डियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सिंस इण्डिपेन्डेन्स (नई दिल्ली, 1991)।

स्वामीनाथन एम0एस0 : अचीविन्ग द गोल ऑफ फूड सिक्योरिटी एण्ड न्यूट्रीशन फार ऑल, एन0एफ0आई0 बुलेटिन, वाल्यूम 36 नं0 1, जनवरी,2015।

मुखर्जी संजीव : फूड सिक्योरिटी इण्डियाज स्ट्राक होल्डिंग एण्ड सब्सिडी स्टैंड एट डब्लू0टी0ओ0, बिजनेस स्टैर्डड, नई दिल्ली, 15 दिसम्बर,2017।

पुरी राघव : इण्डियाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एन0एफ0एस0ए0) अर्ली एक्सपीरीयन्स, लान्सा

(LANSA) वर्किंग पेपर सिरीज, वाल्यूम 2017, जून,2017 ।

सेनगुप्ता प्रियम एण्ड मुखोपाध्याय काकली : इकोनामिक एण्ड इनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इण्डिया, एग्रीकल्चरल एण्ड फूड इकोनामिक्स, 25 फरवरी,2016 ।

कुमार वी0 बीजू : इकोनामिक रिफार्म एण्ड फूड सिक्योरिटी रेसनल फॉर स्टेट इंटरवेंशन, द नेहू जर्नल वाल्यूम (XV, No. 2) जुलाई–दिसम्बर,2017 ।

कुमार वीरेन्द्र : खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में वैद्यानिक क्रान्तियाँ, विज्ञान प्रगति, अक्टूबर,2017

आर्थिक समीक्षा, 2017–18 ।

नदकर्नी एम0वी0 : क्राइसिस इन इण्डियन एग्रीकल्चर, ई0पी0डब्ल्यू0, वाल्यूम 53, इश्यू नं0 17, 28 अप्रैल,2018 ।

आलम वसी, पॉल रंजीत के, आर्या प्रवीण एवं जैन ऊषा : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में चावल के उत्पादक की स्थिति एवं पूर्वानुमान, सांख्यिकी विमर्श (भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान) अंक–13, वर्ष 2017–18 ।

सूद सुरिंदर : इवरग्रीन रिवॉल्यूशन, कुरूक्षेत्र, फरवरी,2018, पेज 12–15 ।